



सीजीएचसी:2588

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील क्रमांक 455/2001

1. श्रीमती रामवती बाई गोंड (मृत और विलोपित)
2. दल्लू राम गोंड, आत्मज स्वर्गीय मणिराम गोंड का, आयु लगभग 43 वर्ष है, निवासी- गाँव कोनारी, तहसील, गरियाबंद, जिला रायपुर।
3. प्रेम साई गोंड, आत्मज स्वर्गीय मणिराम गोंड, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी- गाँव कोनारी, तहसील, गरियाबंद, जिला रायपुर।
4. धनसाई गोंड, आत्मज स्वर्गीय मणिराम गोंड, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी- गाँव कोनारी, तहसील, गरियाबंद, जिला रायपुर।
5. हीरा सिंह गोंड, आत्मज स्वर्गीय मणिराम गोंड का, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी- गाँव कोनारी, तहसील, गरियाबंद, जिला रायपुर।
6. हरि राम गोंड, आत्मज स्वर्गीय मणिराम गोंड, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी- गाँव कोनारी, तहसील, गरियाबंद, जिला रायपुर, (छत्तीसगढ़)।

---- (वादी)/अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्यामलाल गोंड आत्मज श्री जयराम गोंड, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी-गाँव जैदार, थाना मैनपुर, तहसील बिंद्रा नवागढ़, जिला रायपुर।
2. रूप सिंह गोंड आत्मज श्री जयराम गोंड, आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी-गाँव जैदार, थाना मैनपुर, तहसील बिंद्रा नवागढ़, जिला रायपुर।



3. बुधराम गोंड आत्मज श्री जयराम गोंड, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी-गाँव जैदार, थाना मैनपुर, तहसील बिंद्रा नवागढ़, जिला रायपुर।
4. श्रीमती कछरा बाई गोंड बेवा श्री जयराम गोंड की विधवा, आयु 65 वर्ष लगभग, निवासी-गाँव जैदार, थाना मैनपुर, तहसील बिंद्रा नवागढ़, जिला रायपुर।
5. श्रीमती कमला बाई गोंड (मृत और विलोपित)
6. श्रीमती सुखमत बाई गोंड, पति अज्ञात, आयु 37 वर्ष लगभग, निवासी- गाँव चेंदाभाटा, पोस्ट धावलपुर, थाना मैनपुर, तहसील बिंद्रा नवागढ़, जिला रायपुर।
7. श्रीमती बुखी बाई गोंड, पति अज्ञात, आयु 35 वर्ष लगभग, निवासी- गाँव बारदुला, पोस्ट बारदुला, थाना मैनपुर, तहसील बिंद्रा नवागढ़, जिला रायपुर।
8. फिरतू गोंड (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि -
 - (1) रामलाल, आयु 62 वर्ष, निवासी- ग्राम जीदार, तहसील गरियाबंद, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।
 - (2) सुकराम, आयु 55 वर्ष, निवासी- ग्राम जीदार, तहसील गरियाबंद, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।
9. श्रीमती दयाबाई गोंड (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि,
 - (1) पन्नालाल, आयु 40 वर्ष, निवासी- ग्राम जीदार, तहसील गरियाबंद, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।
10. श्रीमती मैना बाई गोंड (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि,
 - (1) देव सिंह, आयु 52 वर्ष, निवासी- ग्राम जीदार, तहसील गरियाबंद, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।



(2) भकला, आयु 55 वर्ष, निवासी- ग्राम जीदार, तहसील गरियाबंद, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

(3) लेसर, आयु 40 वर्ष, निवासी- ग्राम जीदार, तहसील गरियाबंद, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

(4) सयामनी, आयु 58 वर्ष, निवासी- ग्राम जीदार, तहसील गरियाबंद, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

11. ओंकार सिंह द्वारा विधिक प्रतिनिधि,

(1) गिरधारी, आयु 30 वर्ष, निवासी- ग्राम जीदार, तहसील गरियाबंद, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

12. श्री दर्शन गोंड के आत्मज अनंत राम गोंड, जिनकी आयु लगभग 31 वर्ष है, निवासी-गाँव जैदार, थाना मैनपुर, तहसील बिंद्रा नवागढ़, जिला रायपुर।

13. चंदन सिंह गोंड द्वारा विधिक प्रतिनिधि,

(1) टीकम सिंह, आयु 52 वर्ष, निवासी- ग्राम जीदार, तहसील गरियाबंद, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

14. छत्तीसगढ़ राज्य, कलेक्टर, रायपुर के माध्यम से

---- (प्रतिवादी)/प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थियों के लिए :श्री बी. पी. शर्मा और श्री हरि अग्रवाल, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 8 (1) के लिए :श्री एल. सी. दास, अधिवक्ता।

10 (1), 10 (3), 10 (4),

11 (1), 12 और 13 (1)



प्रत्यर्थी क्रमांक 14/राज्य के लिए: श्री विमलेश बाजपेयी, सरकार। अधिवक्ता।

अन्य प्रत्यर्थीओं के लिए : कोई भी उपस्थित नहीं था, हालांकि सेवा की।

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

पीठ पर आदेश

22/01/2019

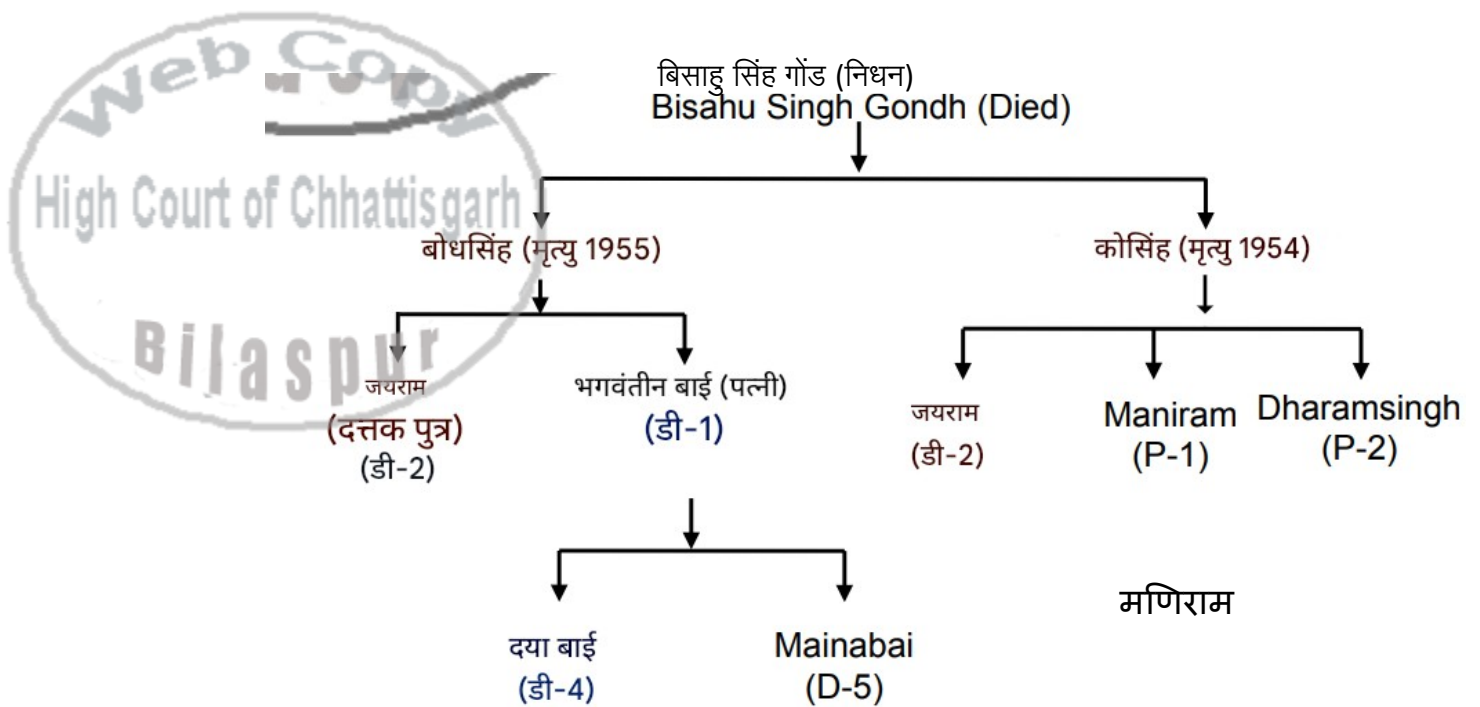
1. वादी/अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई इस द्वितीय अपील में ग्राह्यता के समय अंतर्वर्तित और विरचित विधि के सारवान प्रश्न निम्नानुसार हैं:-

“क्या अधीनस्थ न्यायालयों ने अनुसूचित वाद भूमि को अविभाज्य ठहराते हुए वादी के मुकदमे को खारिज करने में न्यायोचित था, क्योंकि ज्येष्ठ सदस्य का नाम ज्येष्ठाधिकार के हक के अनुसार दर्ज किया गया था, इस बात की अनदेखी करते हुए कि **मध्य प्रदेश मालिकाना अधिकार उन्मूलन (संपदा, महल, हस्तान्तरित अधिनियम, 1950 की धारा 39 और एम. पी. भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 158 (1) (ख) और 164 के कार्यवाही से अविभाज्यता की घटना समाप्त हो गई है और संपदा भूमिस्वामी बन गई है और वादी ने संपदा पर अधिकार प्राप्त कर लिया है?**”

(इस अपील के पक्षकारों को विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र में दिखाई गई उनकी स्थिति और दी गई श्रेणी के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।)



2. निम्नलिखित वंशावली वृक्ष पक्षकारों के बीच संबंधों को प्रदर्शित करता है :--



3. बिसाहु सिंह गोंड के दो बेटे थे, बोधसिंह और कोसिंह। इस प्रकरण के मूल वादी कोसिंह के आत्मज थे। उन्होंने संपदायों के संबंध में स्वामित्व की घोषणा और कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया विशेष रूप से वादपत्र के साथ संलग्न अनुसूची-ख में उल्लिखित। उनका मामला यह है कि वे गोंड समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और स्वतंत्रता पूर्व युग में उनके दादा बिसाहु सिंह रायपुर जिले के कोनारी गांव के महफुजा ठेकेदार थे और उनके पास कोनारी गांव के महफुजा ठेकेदार की हैसियत से



लगभग 14.63 हेक्टेयर भूमि की कुल संपदा धारण करता था और कुल संपदा का उल्लेख वादपत्र के साथ संलग्न अनुसूची-क में किया गया है। यह भी अभिवचन किया गया है कि बिसाहु सिंह की मृत्यु के बाद उनके दो बेटे हुए, जिनके नाम बोधसिंह और कोसिंह थे और उस सुसंगत समय पर, वंशानुगत ज्येष्ठाधिकार के लागू विधि के अनुसार (जिसका अर्थ है पहले जन्म लेना और संपदा में सफल होने के लिए आयु में सबसे वरिष्ठ के अधिमान्य अधिकारों को दर्शाता है, क्योंकि उम्र में सबसे वरिष्ठ वरीयता में अपने छोटे भाई से संपदा, जो प्रकृति में अविभाज्य है का उत्तराधिकारी होने का हकदार है, उनके नाम के स्थान पर बोधसिंह का नाम गांव कोनारी के महफुजा ठेकेदार के साथ-साथ गांव में उनकी संपत्ति के राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया था। वादपत्र में उनके द्वारा यह भी अभिवचन किया गया है कि उक्त बिसाहु सिंह की मृत्यु के बाद, उनके दो बेटों, बोधसिंह और वादी के पिता-कोसिंह ने आपस में संपत्ति का विभाजन कर लिया और वे अलग-अलग कब्जे में थे और अपनी-अपनी संपत्तियों पर वे अलग-अलग काबिज कास्त थे। यह भी कहा गया था कि भाइयों के बीच उक्त व्यवस्था/विभाजन के बाद भी, बड़े भाई बोधसिंह का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज चला आ रहा था और उसके बाद, वर्ष 1954 में, उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद, मूल वादी कोशिंग के विधिक उत्तराधिकारी होने के कारण उन्हें विधिक का उनका हिस्सा विरासत में मिला और वे उक्त हिस्से पर काबिज कास्त चले आ रहे हैं। यह भी अभिवचन किया गया था कि वर्ष 1955 में उनके पिता के भाई बोधसिंह की मृत्यु हो गई और उनका हिस्सा उनकी विधवा भगवंतन बाई और अन्य विधिक उत्तराधिकारी को विरासत में मिला। दोनों भाइयों के बीच विभाजन की जो व्यवस्था/हिस्सेदारी थी, वह 1979 तक उनके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक जारी रही, जब मूल प्रतिवादी क्रमांक 1 भगवानिन बाई ने अन्य प्रतिवादियों के साथ अनुसूची-ख में उल्लिखित संपत्तियों पर वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप किया और जांच के बाद, वादी को पता चला कि बोधसिंह की मृत्यु के बाद, राजस्व अभिलेख में उनका



एकमात्र नाम दर्ज होने का लाभ उठाते हुए, प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अधिकारियों के साथ मिलकर राजस्व अभिलेख में अपना एकमात्र नाम पर नामांतरण करवा लिया, जिसमें खुद को पूरी संपत्ति का अनन्य स्वामी दिखाया गया, जैसा कि मूल रूप से बिसाहु सिंह द्वारा धारित था, जिसके कारण वादपत्र की अनुसूची-ख में उल्लिखित वाद भूमि के स्वत्व की घोषणा एवं कब्जे के लिए वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी कि वे उक्त भूमि के स्वत्व धारक धारक हैं और प्रतिवादियों से उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने के हकदार हैं।

4. मूल प्रतिवादियों ने वादपत्र के आरोपों को नकारते हुए और उनका खंडन करते हुए अपना जवाब दावा दायर किया जिसमें कहा गया था कि बिसाहु सिंह, जो महफूजा ठेकेदार थे, की मृत्यु के बाद संपत्ति को बोधसिंह के नाम पर दर्ज किया गया था और मध्य प्रदेश मालिकाना अधिकार उन्मूलन (संपदा, महल, हस्तान्तरित) अधिनियम, 1950 (संक्षेप में, 1950 का अधिनियम) लागू होने के बाद उक्त बोधसिंह संपत्ति का एकमात्र स्वामी बन गया और उसकी मृत्यु के बाद, उसकी पत्नी प्रतिवादी नं. 1 का नाम उसके स्थान पर उचित ढंग से दर्ज किया गया था और इस प्रकार, वादी का संपत्ति/वाद भूमि पर कोई अधिकार, स्वामित्व और हित नहीं है। इसके अलावा, यह भी कहा गया था कि दोनों भाइयों के बीच कोई विभाजन/व्यवस्था नहीं हुई थी और कोशिंग कभी भी अनुसूची-ख में उल्लिखित संपत्तियों पर काबिज़ कास्त नहीं थे और प्रार्थना किया कि उनका वाद सव्यय निरस्त किया जाए।
5. पक्षकारों की अभिवचनों के आधार पर विचारण न्यायालय ने तेरह विवाद्यक विरचित किया और इस प्रकार विरचित किए गए विवाद्यक के सामने निष्कर्ष दर्ज किए:-

वाद प्रश्न

निष्कर्ष

1. क्या बिसाहू ग्राम कोनारी के तहफूजा ठेकेदार एवं किसान थे?

हाँ

2. (अ) क्या बिन्द्रनवागढ़ में जमीनदारी प्रचलित कानून ऑफ

हाँ



प्राइमोजेनिचर के अनुसार बिसाहू को सम्पत्ति का नाम

पटवारी कागजातों में बोधसिंह का नाम चढ़ गया था?

(ब) क्या बिसाहू को सम्पत्ति में बोधसिंह के साथ

हाँ

कोसिंह को शामिल शरीक उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था?

(स) क्या गांव के पंचों के सामने बिसाहू को सम्पत्ति का

हाँ

हिस्सा बांटा बोधसिंह तथा कोसिंह के मध्य हुआ था और

वे लोग अपने-अपने हिस्से पर काबिज हुये थे?

(ड) क्या कोसिंह को प्रपत्र (ज) में उल्लेखित भूमि

हाँ

हिस्सा बांटा में मिली थी?

3. क्या सम्पूर्ण सम्पत्ति बोधसिंह को स्वतः अर्जित सम्पत्ति है?

हाँ

4. क्या दत्तक पुत्र जयराम को भगवन्तिन बाई के जीवित

नहीं

रहते हुये कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है?

5. क्या वादीगण प्रपत्र (ब) में में उल्लेखित भूमियों पर

हाँ

सन् 1954 से काबिज है ?

6. क्या प्रतिवादिनी क्रमांक-01 द्वारा वाद ग्रस्त भूमि का

हाँ

किया गया बिक्री नामा अवैध एवं प्रभावहीन है?

7. क्या वादीगणों ने न्याय शुल्क कम अदा किया है?

नहीं

8. क्या वादीगणों का दावा न्यायालय के

नहीं

क्षेत्राधिकार के बाहर का है?



9. क्या वादीगणों ने यह दावा प्रतिवादी क्रमांक-02 के प्रमाणित

साथ कुचक्र करके प्रस्तुत किया है? यदि हां तो प्रभाव?

10. क्या प्रतिवादिनी भगवन्तिन को विपरीत कब्जे नहीं

के आधार पर विवादग्रस्त भूमि का स्वत्व हो चुका है?

11. क्या वादीगणों का दावा बेम्याद है? नहीं

12. सहायता एवं वाद व्यय? सव्यय

13. क्या वाद ग्रस्त भूमि ठेकेदारी सम्पत्ति है? नहीं

यदि हो तो क्या ठेकेदारों सम्पत्ति अभि-भाज्य होता है, इसलिये वाद चलने योग्य नहीं है?

6. विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में, विवाद्यक क्रमांक.3 और 13 को छोड़कर, शेष सभी निष्कर्ष वादी के पक्ष में निर्णीत किए किए। तथापि, विवाद्यक क्रमांक 3 और 13 के निष्कर्ष पर लौटाते हुए, विचारण न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि मध्य प्रांत भूमि राजस्व अधिनियम, 1917 की धारा 109 में निहित प्रावधानों के आधार पर, उक्त बिसाहु सिंह की संपदा अविभाज्य भूमि थी और 1950 के अधिनियम के लागू होने के बाद, उक्त संपत्ति बोधसिंह की एकमात्र, पृथक और स्व-अर्जित संपत्ति बन गई है तथा **मुस्तफा खान और अन्य बनाम मुसम्मत हयात बी और अन्य¹** के मामले में एम. पी. उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लेते हुए परिणामस्वरूप वादी के वाद को खारिज कर दिया।

7. विचारण न्यायालय के निर्णय और आज्ञा से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, वादी ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें मुख्य रूप से विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक क्रमांक 3 & 13 के संबंध में दर्ज किए गए निष्कर्ष को चुनौती दिया गया है, जिसमें यह अवधारित



किया गया है कि वादग्रस्त संपत्ति को अविभाज्य भूमि होने के कारण विभाजन योग्य नहीं है, इसलिए, वाद पोषणीय नहीं है। हालाँकि, प्रतिवादियों ने भी विवाद्यक क्रमांक क्रमांक.1, 2 (क) से 2 (घ) और 3 के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को चुनौती देते हुए प्रति-अपील प्रस्तुत की है।

8. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादियों की अपील को खारिज कर दिया, लेकिन विवाद्यक क्रमांक क्रमांक.1,2 (क) से 2 (घ) के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को उलटते हुए इसे अपास्त कर दिया, हालांकि, विवाद्यक क्रमांक 13 पर निष्कर्ष की पुष्टि की यह अवधारित करते हुए कि वादग्रस्त भूमि संरक्षित ठेकेदार की भूमि है और संपत्ति अविभाज्य होने के कारण, वाद पोषणीय नहीं है

9. अब, उपरोक्त शीर्षक वाली इस अपील को केवल वादियों द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसमें निर्धारण के लिए विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न विरचित किया गया था जैसा कि विचारण हेतु इस निर्णय के शुरुआती कंडिका में उल्लेख किया गया है।

10. इस अपील को स्वीकार करते समय विरचित किए गए विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न का निराकरण करने के लिए, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह होगा कि बिसाहु सिंह गोंड द्वारा मध्य प्रांत भूमि राजस्व अधिनियम, 1917 के तहत धारित संपत्ति और उनकी मृत्यु के बाद, उनके बड़े बेटे बोधसिंह द्वारा धारित संपत्ति की प्रकृति क्या थी, क्या यह उनके द्वारा संरक्षित/महफुजा ठेकेदार के रूप में धारित थी?

11. विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि बिसाहु सिंह के पास सम्पत्ति महफुजा ठेकेदार के रूप में थी और ज्येष्ठाधिकार के नियम के तहत, उनकी मृत्यु के बाद, वाद भूमि उनके बड़े बेटे बोधसिंह-वादी के पिता के भाई के नाम पर दर्ज की गई और यह बिसाहु सिंह की मृत्यु के बाद वादी के पिता और बोधसिंह को संयुक्त रूप से विरासत में मिली थी और इसे भी विभाजित कर दिया गया था, लेकिन उक्त



निष्कर्ष को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रति-अपील को स्वीकार करते हुए उलट दिया है।

12. इस बिंदु को तय करने के लिए, प्रतिवादियों द्वारा स्वयं निर्दिष्ट दस्तावेजों को संदर्भित करना उचित होगा, क्योंकि यह प्रतिवादियों का मामला है कि संपत्ति बोधसिंह की स्व-अर्जित संपत्ति थी।
13. प्रतिवादियों ने प्रदर्श-डी/2 प्रस्तुत किया है अर्थात् खसरा पंचशाला वर्ष 1947-48 से 1951-52 की, जिसमें कॉलम 3 में कब्जा धारक का नाम बोधसिंह, आत्मज बिसाहु सिंह गोंड को महफुजा ठेकेदार के रूप में दर्ज किया गया है और यह भी दर्ज किया गया है कि नागेंद्र शाह उस संपत्ति के राजगोंड/जमींदार थे। वर्ष 1951-52 के लिए उक्त दस्तावेज प्रदर्श-डी/2 में, यह दर्ज किया गया है कि द्वारा उपायुक्त भूमि सुधार ने प्रकरण क्रमांक 316/1अ/10 में पारित आदेश द्वारा बोधसिंह-संरक्षित ठेकेदार को मौरूसी अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसलिए, यह स्पष्ट है कि बिसाहु सिंह मध्य प्रांत भूमि राजस्व अधिनियम, 1917 के तहत महफुजा/संरक्षित ठेकेदार थे। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने केवल यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि यह बोधसिंह की स्व-अर्जित संपत्ति है और विवाद्यक क्रमांक 3 पर दर्ज विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को अपास्त कर दिया है, लेकिन विवाद्यक क्रमांक 2 के संबंध में दिए गए निष्कर्ष को अपास्त नहीं किया, जिसमें विचारण न्यायालय ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया है कि बिंद्रानवागढ़ में, ज्येष्ठाधिकार के नियम के अनुसार, बोधसिंह का नाम बिसाहु सिंह के स्थान पर राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया था, इसलिए तदनुसार यह माना जाता है कि बोधसिंह मध्य प्रान्त भूमि राजस्व अधिनियम, 1917 के प्रावधानों के तहत संपत्ति का संरक्षित/महफुजा ठेकेदार बन गया था।
14. अब सवाल यह है कि मध्य प्रांत भूमि राजस्व अधिनियम, 1917 के तहत महफुजा/संरक्षित ठेकेदार (बोधसिंह) द्वारा धारण की गई संपत्ति की प्रकृति क्या थी और ऐसे संरक्षित ठेकेदार के परिवार के अन्य सदस्यों के अधिकार क्या हैं?



15. उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए, मध्य प्रांत भूमि राजस्व अधिनियम, 1917 की धारा 109 में निहित प्रावधानों पर ध्यान देना उचित होगा, जिसमें कहा गया है:-

109. (1) संरक्षित ठेकेदार के अवधि की घटनाएं निम्नानुसार होंगी:-

(क) अवधि होगी -

(i) अविभाज्य;

(ii) अहस्तांतरणीय : और

(iii) किसी व्यवहार न्यायालय के आज्ञा के निष्पादन में बिक्री या पुरोबंध के दायित्व से मुक्त -

(i) इसमें निहित कुछ भी किसी संरक्षित ठेकेदार, या उसके परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों को, जो ठेके में हिस्सा प्राप्त करने या उससे प्राप्त आय से अपना भरण-पोषण करने का हकदार होगा, को गाँव या उसके हिस्से की कोई व्यवस्था और उपभोग करने से नहीं रोकेगा।

(ii) एक संरक्षित ठेकेदार का अधिकार उपायुक्त की मंजूरी के अधीन, सहकारी समिति अधिनियम, 1912 (1912 का II) के तहत पंजीकृत सोसायटी के पक्ष में दस साल से अधिक की अवधि के लिए पट्टे में दिया जा सकता है;

(ख) उत्तराधिकार का विनियमन मृतक के व्यक्तिगत विधि द्वारा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्:-

((i) एक बार में केवल एक व्यक्ति सफल होगा।

((ii) जहां मृतक के साथ समान स्तर के संबंध में कई व्यक्ति हैं, वहां सामान्य पूर्वज से वंश में वरिष्ठ लोगों को उन कनिष्ठ लोगों की तुलना में



प्राथमिकता दी जाएगी, और जहां वंश की समान वरिष्ठता के कई व्यक्ति हैं, वहां सबसे बड़े व्यक्ति को दूसरों की तुलना में वरीयता दी जाएगी:

परन्तु, ऐसे व्यक्तियों में से जो मृतक के साथ समान स्तर के संबंध रखते हैं, जो उनकी मृत्यु के समय उनके साथ संयुक्त रूप से संपत्ति में था, उसे उस व्यक्ति की तुलना में वरीयता दी जाएगी जो इतना संयुक्त नहीं था;

(iii) यदि कई विधवाएँ हैं, तो विवाह की तारीख में वरिष्ठ को दूसरों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी।

(iv) सफल होने का हकदार व्यक्ति अपने अधिकारों से इस्तीफा दे सकता है और उसके बाद मृतक के उत्तराधिकारी के क्रम में अगला व्यक्ति सफल होगा;

(ग) एक संरक्षित ठेकेदार, चाहे वह लिखित पट्टे के तहत हो या मौखिक समझौते के तहत, अपने पट्टे या समझौते के नवीनीकरण की समाप्ति पर हकदार होगा और, ऐसे किसी भी नवीनीकरण की घटना पर, धारा 108 के प्रावधान लागू होंगे।

(घ) सभी विविध देय राशि और उपकर, जब तक कि आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अधिकृत नहीं किए जाते हैं, को थेक-जामा में शामिल किया जाएगा।

(2) भारतीय पंजीकरण अधिनियम (1908 का XVI) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, दस्तावेज़ पंजीकृत करने के लिए सशक्त कोई भी अधिकारी किसी भी दस्तावेज़ को पंजीकरण के लिए स्वीकार नहीं करेगा जो अधिकारों के किसी भी हिस्से के अलावा किसी संरक्षित ठेकेदार के अधिकार को उप-धारा (1), खंड (क) , परंतुक (ii) में दिए गए के अंतर्गत हस्तांतरित करने का इरादा रखता है।



(3) यदि कोई संरक्षित ठेकेदार उप-धारा (1), खंड (क) , परंतुक (2) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर अपने अधिकारों के किसी भी हिस्से का हस्तांतरण करता है और हस्तांतरणकर्ता हस्तांतरण के अनुसरण में कब्जा प्राप्त करता है, तो उपायुक्त अपने स्वयं के प्रस्ताव से या इसके बाद उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी के आवेदन पर, गाँव या गाँव के संबंधित हिस्से के कब्जे में अंतरित ठेकेदार, या किसी सह-हिस्सेदार, या ऐसे व्यक्तियों में विफल रहने पर, स्वामी को इस शर्त के अधीन रख सकता है कि इस तरह से कब्जे में रखा गया व्यक्ति निम्नलिखित दायित्वों को स्वीकार करेगा: ठेका-जामा के बकाया के लिए ठेकेदार का हस्तांतरण;

परन्तु कब्जे में रखे जाने के इच्छुक कई सह-भागीदारों में से उपायुक्त उस व्यक्ति के पक्ष में निर्णय लेगा जो उप-धारा (1) के तहत ठेकेदार का उत्तराधिकारी बनने का हकदार होगा यदि वह मर चुका था।

स्पष्टीकरण 1.-उप-धारा (3) के प्रयोजन के लिए किसी संरक्षित ठेकेदार द्वारा अपने अधिकारों के समर्पण को उप-धारा (1) के उल्लंघन में हस्तांतरण माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 2- इस धारा में और धारा 2 के तीसरे परंतुक में 'सह-हिस्सेदार' पद का अर्थ होगा कोई भी व्यक्ति जो संरक्षित ठेकेदार के साथ संयुक्त है और पट्टा के लाभ में हिस्सेदारी का हकदार है।

...

...

...

.....”



16. उपर्युक्त प्रावधान के सावधानीपूर्वक अवलोकन से पता चलेगा कि संपत्ति की प्रकृति 1917 के अधिनियम की धारा 109 की उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन अहस्तांतरणीय और अविभाज्य होगी जो संरक्षित ठेकेदार या उसके परिवार के किसी भी सदस्य या सदस्यों को केवल संयुक्त या विभाजित प्रबंधन और गांव या उसके हिस्से के उपभोग के लिए बाध्यकारी कोई भी व्यवस्था करने का अधिकार देती है।
17. प्रिवी काउंसिल द्वारा **ठाकुर भगवान सिंह बनाम दरबार सिंह²** के मामले में 1917 के अधिनियम के तहत संरक्षित ठेका द्वारा धारित भूमि की प्रकृति और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एक संरक्षित ठेकेदार के अधिकारों पर पहली बार विचार किया गया, जिसमें प्रिवी काउंसिल ने अभिनिर्धारित किया कि हालांकि संरक्षित ठेका द्वारा धारित भूमि अविभाज्य भूमि होगी, फिर भी, यह संरक्षित ठेकेदार और उनके परिवार की संयुक्त संपत्ति होगी और संक्षेप में निम्नानुसार अवधारित किया :-

“एक संरक्षित ठेकेदार की स्थिति यह है कि, अधिनियम की धारा 108 के तहत, वह राजस्व प्राधिकारी द्वारा जांच के बाद तय की गई शर्तों पर पट्टे के तहत ठेका में शामिल भूमि धारित करता है, लेकिन स्वामी द्वारा निष्पादित (या उसके लिए राजस्व प्राधिकारी द्वारा इनकार करने की स्थिति में), अधिनियम की धारा 111 में प्रदान किए गए अधिहरण के अधीन, अधिहरण करने का एक आधार किसी कबुलियत या पट्टे के प्रतिलेख को निष्पादित करने से इनकार करना है। पट्टा की समाप्ति पर वह धारा 109 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के तहत नवीनीकरण का हकदार है। धारा 109 की धारा (1) और उसी उप-धारा की धारा (क) और (ख) के तहत, उसकी अवधि को अहस्तान्तरणीय और अविभाज्य बनाया गया है, और यह प्रावधान किया गया है कि उसकी मृत्यु पर उसके उत्तराधिकार को मृतक ठेकेदार की व्यक्तिगत विधि द्वारा विनियमित किया जाना है, इस शर्त के अधीन कि एक समय में



केवल एक व्यक्ति सफल होगा और ऐसा व्यक्ति चुना जाएगा जैसा कि उसमें प्रावधान किया गया है। ठेकेदार की यह स्थिति होने के कारण, माननीय न्यायाधीशों की राय में, यह इस प्रकार है कि वह बाद में उल्लिखित व्यवस्था के अभाव में किसी भी तरह से ध्वस्त परिसर पर कब्जा करने का हकदार है। साथ ही अधिनियम यह मान्यता देता है कि पट्टाधृति का हित, हालांकि अविभाज्य है, फिर भी ठेकेदार और उसके परिवार की संयुक्त संपत्ति हो सकती है; और इसका प्रावधान धारा 109 की उप-धारा (1) के खंड (क) में किया गया है:-

इसमें निहित कुछ भी किसी संरक्षित ठेकेदार या उसके परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों को, जो ठेके में हिस्सा प्राप्त करने या उसकी आय से भरण पोषण करने का हकदार होगा, केवल संयुक्त या विभाजित प्रबंधन के लिए कोई व्यवस्था करने से नहीं रोकेगा, जो केवल गाँव या उसके हिस्से के संयुक्त या विभाजित प्रबंधन और उपभोग के लिए खुद पर बाध्य होगा।

यह सुझाव नहीं दिया गया है कि इस मामले में ठेकेदार को बाध्य करने वाली ऐसी कोई व्यवस्था थी।

धारा 112 इस प्रकार है:

धारा 227 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन, जिला आयुक्त, किसी संरक्षित ठेकेदार के परिवार के किसी भी सदस्य के आवेदन पर, जो इससे प्राप्त आय से अपना पालन पोषण करने का हकदार है, परिवार के किसी भी ऐसे सदस्य को ठेका हस्तांतरित कर सकता है जो उसके बाद संरक्षित ठेकेदार बन जाएगा: परन्तु इस तरह का निष्कासन संरक्षित व्यक्ति को ठेका में उसके हित से वंचित नहीं करेगा।



इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह उपाय परिवार के अन्य सदस्यों को विभाजन के लिए मुकदमा करने के अधिकार के बदले में दिया गया है, जिससे वे वंचित हो गए हैं, ठेका को संविधि द्वारा अविभाज्य और अहस्तांतरणीय बनाए जाने के परिणामस्वरूप।

(जोर दिया गया)

18. प्रिवी काउंसिल द्वारा **ठाकुर भगवान सिंह (सुप्रा)** में निर्धारित विधि के सिद्धांत का नागपुर उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा **चंदूलाल बनाम पुष्कर राज एवं अन्य³** के मामले में अनुमोदन के साथ पालन किया गया, जिसमें इस प्रस्ताव को दोहराया गया कि पट्टाधृति हित, यद्यपि अविभाज्य है, फिर भी ठेकेदार और उसके परिवार की संयुक्त संपत्ति हो सकती है और यह संरक्षित ठेकेदार की अनन्य संपत्ति नहीं होगी, और निम्नानुसार अवधारित की गई:

“(17) यह हमेशा से स्वीकृत विचार रहा है कि 'ठेकेदार' को संरक्षित दर्जा देने से 'ठेका' उस व्यक्ति की अनन्य संपत्ति नहीं बन जाती है जिसे संरक्षित दर्जा प्रदान किया जाता है।...

- (18) संरक्षित 'ठेकादारी' की प्रकृति और घटना पर विचार करने का विषय द प्रिवी काउंसिल के माननीय न्यायाधीशों के समक्ष **'भागवान सिंह बनाम दरबार सिंह', 24 नागपूर एल. आर. 179** में विचार के लिए आया। माननीय न्यायाधीशों ने अवधारित किया कि भू-राजस्व अधिनियम, 1917, यह मानता है कि पट्टाधृति हित, हालांकि अविभाज्य है, फिर भी 'ठेकेदार' और उसके परिवार की संयुक्त संपत्ति हो सकती है।.....”

19. 1917 के अधिनियम की धारा 109(1) में निर्धारित उपरोक्त प्रावधान और **ठाकुर भगवान सिंह (सुप्रा)** में प्रिवी काउंसिल द्वारा तथा **चंदूलाल (सुप्रा)** में नागपूर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त दो निर्णयों में निर्धारित विधि के सिद्धांतों से



यह स्पष्ट है कि संरक्षित ठेकेदार संरक्षित 'ठेका' का एकमात्र स्वामी नहीं होगा तथा 1917 के अधिनियम की धारा 109 संपदा को अविभाज्य तथा अहस्तांतरणीय बनाती है, फिर भी यह ठेकेदार तथा उसके परिवार की संयुक्त संपदा होगी तथा परिवार के अन्य सदस्य ठेका में हिस्सा पाने अथवा उससे होने वाली आय से अपने लिए भरण-पोषण पाने के हकदार होंगे, लेकिन वे ठेका के विभाजन के लिए मुकदमा नहीं कर सकते।

20. इस स्तर पर, 1950 के अधिनियम में निहित प्रावधानों द्वारा शामिल विधायी परिवर्तन को ध्यान में रखना उचित होगा, जिसमें संरक्षित ठेकेदार की स्थिति शामिल है, जो 26-1-1951 से प्रभावी हुई, जिसमें 1950 के अधिनियम की धारा 3 राज्य में स्वामित्व अधिकारों के निहित होने के बारे में बताती है। इसके अलावा, 1950 के अधिनियम की धारा 39 उपायुक्त के आदेश से संरक्षित ठेकेदार को मौरूसी कृषक का अधिकार प्रदान करती है। इसी तरह, धारा 54 किसी स्वामी को या अवधि के तहत रैयती का अधिकार प्रदान करती है। 1950 के अधिनियम की धारा 3, 39 और 54 इस प्रकार हैं:-

“3. राज्य में स्वामित्व अधिकारों का निहित होना —(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंध किए गए को छोड़कर, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को और उससे, अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र में, किसी संपदा, महल, विच्छेदित गाँव या विच्छेदित भूमि में सभी स्वामित्व अधिकार, जो ऐसी संपदा, महल, विच्छेदित गाँव, विच्छेदित भूमि के स्वामी में निहित हैं, या स्वामी के माध्यम से ऐसे स्वामित्व अधिकार में हित रखने वाले व्यक्ति में निहित हैं, ऐसे स्वामी या ऐसे अन्य व्यक्ति से राज्य के प्रयोजनों के लिए सभी बाधाओं से मुक्त होकर राज्य में निहित होंगे।



(2) उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद, उस भूमि में या उस पर कोई अधिकार अर्जित नहीं किया जाएगा, जिसे उक्त अधिसूचना प्राप्त होती है, सिवाय उत्तराधिकार द्वारा या राज्य द्वारा या उसकी ओर से किए गए या किए गए लिखित अनुदान या अनुबंध के तहत; और ऐसी भूमि में खेती के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए कोई नई सफाई ऐसे नियमों के अनुसार नहीं की जाएगी जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए जाएं।

(3) विभिन्न क्षेत्रों के लिए उप-धारा (1) के तहत अलग-अलग तिथियां निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

(4) राज्य सरकार ऐसी तिथि से पहले किसी भी समय उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट तिथि को बदल सकती है।

39. एक संरक्षित ठेकेदार, अन्य ठेकेदार या एक संरक्षित मुखिया आदि को किरायेदारी का अधिकार प्राप्त करना— (1) जहां धारा 3 के तहत राज्य में किसी संरक्षित ठेकेदार या अन्य ठेकेदार या किसी संरक्षित प्रधान या किसी अन्य अवधि के तहत निहित स्वामित्व अधिकार हैं, वहां उपायुक्त ऐसे स्वामी के लिए पूरे घर-खेत की भूमि या उसके हिस्से में एक मौरूसी कृषक के अधिकार सुरक्षित रख सकता है और उस पर किराया निर्धारित करेगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत मौरूसी कृषक बनने वाला कोई भी व्यक्ति राज्य का मौरूसी कृषक होगा।

54. किसी स्वामी को या अवधि के तहत रैयती के अधिकार का संचय—(1) जहां कोई भूमि जो गृह-खेत में शामिल नहीं थी, किसी स्वामी की व्यक्तिगत खेती के अधीन थी, वहां उपायुक्त इस संबंध में राज्य सरकार



द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, ऐसी भूमि के पूरे या हिस्से में ऐसे स्वामी के लिए रैयत के अधिकार सुरक्षित रख सकता है और उस पर राजस्व निर्धारित करेगा।

(2) जहां धारा 3 के तहत राज्य में किसी अल्पकालिक व्यक्ति के स्वामित्व के अधिकार निहित हैं, वहां उपायुक्त ऐसे अल्पकालिक के लिए घरेलू कृषि भूमि के पूरे या हिस्से में एक रियासत के अधिकार सुरक्षित रख सकता है और उस पर राजस्व निर्धारित करेगा।”

21. इस प्रकार, 1950 के अधिनियम की धारा 39(1) में निहित प्रावधानों के आधार पर, उपायुक्त आदेश द्वारा एक संरक्षित ठेकेदार द्वारा धारित स्वामित्व अधिकारों को ऐसे स्वामी के लिए सुरक्षित रख सकता है, पूरे या भूमि के हिस्से में एक मौरूसी कृषक के अधिकार और 1950 के अधिनियम की धारा 39 (2) के आधार पर, धारा 39 (1) के तहत मौरूसी कृषक बनने वाला कोई भी व्यक्ति राज्य का कृषक होगा।

22. जैसा कि यहाँ ऊपर, 1950 के अधिनियम की धारा 39 (1) के तहत उपायुक्त के आदेश द्वारा विधिवत रूप से उल्लिखित किया गया है, मौरूसी कृषक के अधिकार बोधसिंह (वादी के पिता के भाई) को प्रदान किए गए थे (ठेका में उनके द्वारा धारित भूमि के लिए संरक्षित ठेकेदार), मामले की कार्यवाही में वादग्रस्त भूमि सहित पूरी संपत्ति पर, ₹175 के भूमि राजस्व का आकलन करके, जिसे वर्ष के लिए प्रदर्श-डी/1 और डी/3-खसरा पंचशाला में विधिवत दर्ज किया गया था। इस प्रकार, 1950 के अधिनियम के लागू होने से, बोधसिंह, जिन्हें संरक्षित ठेकेदार का दर्जा दिया गया था, मौरूसी कृषक बन गए, जहाँ तक वादग्रस्त भूमि सहित पूरी संपत्ति का संबंध उपायुक्त के आदेश से है, जो विधिवत प्रदर्श-डी/2 में दर्ज है।

23. 1950 के अधिनियम के बाद संरक्षित ठेकादारी संपदा की प्रकृति के संबंध में लाया गया है और यहाँ ऊपर चर्चा किया गया है पर एम. पी. उच्च न्यायालय द्वारा



मणिराम मकसुदन बनाम रामदयाळ मकसुदन और अन्य⁴ के मामले में विचार किया गया था जिसमें प्रश्न यह था कि क्या 1917 के अधिनियम की धारा 109 के तहत ठेका अविभाज्य और अहस्तांतरणीय है, अन्य सह-हितधारकों का कोई हित है और वे संरक्षित ठेकेदार के साथ संयुक्त रूप से या विशेष रूप से किसी भी भूमि पर कब्जा रखने का दावा कर सकते हैं। म.प्र. उच्च न्यायालय ने ठाकुर भगवान सिंह (सुप्रा) में प्रिवी काउंसिल के निर्णय और चंदूलाल (सुप्रा) में नागपूरपुर उच्च न्यायालय के निर्णय पर अवलंब लेते हुए और शिव प्रसाद साव बनाम श्रीमती सुखमबाई⁵ के मामले में अपने एक अन्य निर्णय पर अवलंब लेते हुए कहा कि ठेकेदारी संपत्ति 1950 के बाद सह-हिस्सेदारों के बीच विभाजित हो गई और निम्नानुसार अवलोकन किया:

“(7) इस प्रकार यह देखा जाएगा कि यद्यपि मध्य प्रान्त भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 109 में कहा गया है कि ठेका ज्येष्ठाधिकार से शासित होगा, ठेका में हिंदू परिवार के अन्य सदस्यों के अधिकार जारी हैं, हालांकि वे ठेका में भूमि का विभाजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं या उनके बीच किसी भी व्यवस्था के अभाव में ठेका से संबंधित किसी भी भूमि के कब्जे में होने का दावा नहीं कर सकते हैं। यह संरक्षित ठेकेदार के लिए खुला है कि वह ठेका से जुड़ी भूमि को विभाजित करने के लिए अपने हिस्सेदारों के साथ एक समझौते पर आए और इस तरह की पारिवारिक व्यवस्था हिस्सेदारों पर बाध्यकारी होगी। इस प्रकार 1935 में पक्षकारों के बीच हुए विभाजन में एक पारिवारिक व्यवस्था की प्रकृति थी और भले ही ठेका विधि के तहत अहस्तांतरणीय हो, लेकिन यह व्यवस्था पक्षकारों पर बाध्यकारी थी।

(8)

4 AIR 1960 MP 7

5 L.P.A.No.19 of 1949, decided on 30-11-1954 (Nag)



यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ठेकादारी संपत्ति से प्राप्त आय पर हिस्से के लिए मुकदमा मान्य नहीं था। आई. एल. आर. 1952 नागपूर 318 में ठेका भूमि के संबंध में संयुक्त परिवार की प्रकृति के बारे में आई.एल.आर. 1952 नागपूर 318: (ए.आई.आर. 1952 नागपूर 271) (सुप्रा) में अपनाया गया दृष्टिकोण, प्रिवी काउंसिल द्वारा 24 नागपूर एलआर 179: (एआईआर 1928 पीसी 96) के मामले में माननीय न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय पर आधारित है, उस निर्णय में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया था। श्री वर्मा द्वारा मामले में जिन सिद्धांतों पर भरोसा किया गया है, वे उन निर्णयों के विपरीत नहीं हैं। स्थिति यह बनी हुई है कि ठेका भूमि संयुक्त परिवार की संपत्ति बनी हुई है, भले ही किसी भी वर्ष के लाभ के लिए सह-हिस्सेदार द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

(9)

मैं इस बात से सहमत हूँ कि एक संरक्षित ठेकेदार के अधिकारों के उन्मूलन के बाद यह स्थिति होगी। एक ठेका में भूमि संरक्षित ठेकेदार के संयुक्त परिवार के पास स्वीकृत दृष्टिकोण के अनुसार होती है, हालांकि यह भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 109 द्वारा लगाई गई स्पष्ट सीमा के अधीन थी। संरक्षित अधिकारों के उन्मूलन के बाद, ये प्रतिबंध गायब हो गए और संयुक्त हिंदू परिवार की भूमि के रूप में भूमि का सामान्य प्रकृति बहाल हो गया। इसलिए वे 1950 के बाद सह-भागीदारों के बीच विभाजित हो गए।”

24. इस प्रकार, उपर्युक्त विधिक विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि संरक्षित ठेका की संपत्ति जो कि परिवार के सदस्यों की संयुक्त संपत्ति थी, जिसमें विभाजन के लिए मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं था, वह बिना किसी वैधानिक प्रतिबंध के



सामान्य संयुक्त हिंदू सहदायिक पारिवारिक संपत्ति बन गई और 1950 के अधिनियम के लागू होने के बाद सह-हिस्सेदारों के बीच विभाजित हो गई, जैसा कि म.प्र. उच्च न्यायालय ने **मणिराम मकसूदन (सुप्रा)** में माना था, जो इस न्यायालय के लिए बाध्यकारी है, क्योंकि वह म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01-11-2000 से पहले दिया गया निर्णय था।

25. एम. पी. भूमि राजस्व संहिता, 1954 (संक्षेप में, '1954 की संहिता') दिनांक 12.02.1955 से लागू हुई। सबसे पहले इसका विस्तार महाकोशल क्षेत्र में किया गया था, लेकिन एम. पी. विधियों के अनुकूलन (राज्य और समवर्ती विषय) आदेश, 1956 द्वारा, इसे पूरे मध्य प्रदेश में दिनांक 01-11-1956 से लागू किया गया था। 1954 की संहिता की धारा 147 (क) निम्नानुसार प्रदान करती है:-

“147. भूमिधारी- प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के लागू होने पर निम्नलिखित में से किसी भी वर्ग से संबंधित है, उसे भूमिधारी कहा जाएगा और उसके पास सभी अधिकार होंगे और वह इस संहिता द्वारा या उसके तहत भूमिधारी को प्रदत्त या अधिरोपित सभी दायित्वों के अधीन होगा, अर्थात्।

(क) विलय किए गए क्षेत्रों को छोड़कर, महाकोशल क्षेत्र में मौरूसी कृषक के रूप में उसके द्वारा धारण की गई भूमि के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति।”

26. इसलिए, 1954 की संहिता के लागू होने के बाद, मौरूसी कृषक के रूप में उसके द्वारा धारण की गई भूमि के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति 1954 की संहिता के तहत महाकोशल क्षेत्र भूमिधारी बन गया। "महाकोशल क्षेत्र" शब्द को एम. पी. विधियों के अनुकूलन (राज्य और समवर्ती विषय) आदेश, 1956 में धारा 2 (1) (एफ) में परिभाषित किया गया है और इसमें जिला रायपुर भी शामिल है जहां वाद भूमि स्थित है, जो निम्नानुसार है:-



“(च) "महाकोशल क्षेत्र" से मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर, सागर, दमोह, मंडला, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, निमार, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ और बालाघाट जिलों के भीतर शामिल क्षेत्र अभिप्रेत हैं, जो नियत दिन से ठीक पहले मौजूद थे।

27. इस प्रकार, 1954 की संहिता की धारा 147 (क) के आधार पर, बोधसिंह, जो महाकोशल क्षेत्र में मौरूसी कृषक की क्षमता में दिनांक 01.11.1956 को या उससे पहले वादग्रस्त भूमि धारण करते थे, जिसमें रायपुर भी शामिल था, जहां वादग्रस्त भूमि स्थित है, उक्त भूमि के भूमिधारी बन गए।

28. 1954 की संहिता को दिनांक 02.10.1959 से निरस्त कर दिया गया था और मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़) भू-राजस्व संहिता, 1959 (संक्षेप में, '1959 की संहिता') उक्त तिथि से लागू हुई थी। 1959 की संहिता की धारा 158 (1) (क) में कहा गया है:-

“158. भूमिस्वामी—(1) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के लागू होने के समय, निम्नलिखित वर्गों में से किसी से संबंधित है, उसे भूमिस्वामी कहा जाएगा और उसके पास सभी अधिकार होंगे और वह इस संहिता द्वारा या उसके तहत किसी भूमिस्वामी को प्रदत्त या अधिरोपित सभी दायित्वों के अधीन होगा, अर्थात्:-

(क) मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 (1955 का द्वितीय) के प्रावधानों के अनुसार भूमिस्वामी या भूमिधारी अधिकारों में महाकोशल क्षेत्र में उसके द्वारा धारित भूमि के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति;

29. अंततः छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 के धारा 158(1)(क) में निहित प्रावधानों के आधार पर, दिनांक 02.10.1959 से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 के लागू होने पर, बोधसिंह सम्पूर्ण संपत्ति के भूमिस्वामी बन गए, जिसमें वाद भूमि भी शामिल है, जिस पर वे दिनांक 02.10.1959 से पूर्व भूमिधारी के रूप में काबिज थे।



30. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, म.प्र. उच्च न्यायालय ने **मनीराम मकसूदन (सुप्रा)** में स्पष्ट रूप से माना है कि ठेके की भूमि संरक्षित ठेकेदार के संयुक्त परिवार के पास है और 1959 की संहिता के लागू होने के बाद संरक्षित अधिकारों के उन्मूलन के बाद, ये प्रतिबंध समाप्त हो गए और वाद की भूमि का सामान्य प्रकृति संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के रूप में बहाल हो गया और इसलिए, 1950 के बाद भूमि सह-हिस्सेदारों के बीच विभाजित हो गई। लेकिन, वर्तमान मामले में, विचारण न्यायालय के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह माना कि ठेके की भूमि बोधसिंह के संयुक्त परिवार की संपत्ति है, लेकिन **मुस्तफा खान (सुप्रा)** में म.प्र. उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए यह कहते हुए वाद को खारिज कर दिया कि चूंकि भूमि अविभाज्य है, इसलिए वादी विभाजन के लिए वाद दायर करने के हकदार नहीं हैं। **मुस्तफा खान (सुप्रा)** में दिए गए निर्णय पर उत्तरवादियों/यहां प्रतिवादियों की ओर से मेरे समक्ष उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा भी भारी भरोसा किया गया है और इस पर बल दिया गया है, ताकि 1950 के अधिनियम के लागू होने के बाद भी वाद भूमि की अविभाज्यता के संबंध में निष्कर्षों का समर्थन किया जा सके।

31. इस स्तर पर, यहाँ यह ध्यान देना उचित है कि **मुस्तफा खान (सुप्रा)** के मामले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने **श्री राजा वेलुगोटी कुमार कृष्ण यचेन्द्र वरु एवं अन्य बनाम श्री राजा वेलुगोटी सर्वज्ञ कुमार कृष्ण यचेन्द्र वरु एवं अन्य⁶** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है और **मणिराम मकसूदन (सुप्रा)** में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की समकक्ष पीठ के निर्णय से अलग निर्णय देते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया है: -

“दूसरा मामला जो संदर्भित किया गया था वह **मणिराम मकसूदन बनाम रामदयाळ मकसूदन और अन्य⁴** का था। उस मामले में हालांकि ठेका वादी के नाम पर दर्ज किया गया था, लेकिन वर्ष 1935 में एक विभाजन हुआ जिसमें जिस



परिवार में सर और खुदकशत की ठेका से जुड़ी भूमि और परिवार से संबंधित अन्य संपत्तियों को तीन भाइयों के बीच विभाजित किया गया था और यह उस आधार पर था। न्यायमूर्ति टी. सी. श्रीवास्तव, जैसा कि वे उस समय थे, का मानना था कि उन्मूलन अधिनियम के लागू होने के बाद संरक्षित ठेकेदारी से संबंधित स्वामित्व अधिकार गायब हो गए और संयुक्त हिंदू परिवार की भूमि के रूप में भूमि का सामान्य प्रकृति बहाल हो गया। इसलिए वे वर्ष 1950 के बाद सह-भागीदारों के बीच विभाजित हो गए। इस प्रकार, उस मामले में, संरक्षित ठेकेदारी ने इस तथ्य के बावजूद कि उसे संरक्षित दर्जा प्रदान किया गया था, ठेका को अपनी अनन्य संपत्ति के रूप में नहीं रखा था। यह संपत्ति भाइयों के पास संयुक्त रूप से थी जो यहां नहीं है। इस प्रकार, उक्त निर्णय वर्तमान मामले से उत्पन्न होने वाले विवाद को हल करने में कोई मदद नहीं करता है।”

32 अंत में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुस्तफा खान (सुप्रा) में निम्न प्रकार से निर्णय दिया: -

“चूंकि निर्णय अंततः सी.पी. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 109(1)(क) के प्रथम परन्तुक पर आधारित है, इसलिए उच्चतम न्यायालय के कृष्णा (सुप्रा) मामले के आधार पर अंतिम रूप से निष्कर्ष निकालने से पहले इसकी जांच करना वांछनीय है। प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि ठेकेदार के परिवार के सदस्यों के ठेके में हिस्सा प्राप्त करने या इसकी आय से भरण-पोषण करने के अधिकार को ठेकेदार और उसके परिवार के सदस्यों के बीच किसी भी व्यवस्था के आधार पर 1917 के अधिनियम के तहत मान्यता दी गई थी। मेरी राय में, विधायिका ने ठेके को अविभाज्य बनाने के बावजूद कुछ व्यवस्थाओं को बचाने के लिए अधिनियम बनाने का विचार किया और ठेकेदार की ओर से उनके उल्लंघन के मामले में धारा 112 के तहत प्राप्त उपचार भी प्रदान किया।



वादी ने अधिनियम के तहत प्राप्त उपचार का सहारा नहीं लिया। इसके विपरीत, उन्होंने वर्तमान मुकदमा दायर किया। उन्मूलन अधिनियम के लागू होने पर ठेकेदारी समाप्त हो जाने के पश्चात पिछले ठेकेदार मुर्तेजा खान के उत्तराधिकारियों के आधार पर विभाजन और पृथक कब्जा (उनके और ठेकेदार के बीच किसी व्यवस्था के आधार पर नहीं) तथा धारा 109(1)(i) के अन्तर्गत संरक्षित ठेकेदार के अवधि से जुड़ी अविभाज्यता की विशेषता समाप्त हो गई। लेकिन फिर क्या इस समाप्ति ने अहस्तांतरणीय ठेकेदार को वादी और तत्कालीन ठेकेदार (प्रतिवादी संख्या 1) के बीच विभाजित कर दिया? मेरा उत्तर **कृष्णा (सुप्रा)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करते हुए नकारात्मक है, जो पूरी ताकत से लागू होता है। इसलिए, यहां तक कि यद्यपि उन्मूलन अधिनियम द्वारा अविभाज्यता को हटा दिया गया था, लेकिन इससे कोई ऐसा अधिकार नहीं बना, जिसे वादी स्वयं निर्धारित कर सकें। उक्त अधिनियम की धारा 39(1) के अन्तर्गत तत्कालीन ठेकेदार (प्रतिवादी क्रमांक 1) ही मौरुषी कृषक बन गया तथा तत्पश्चात म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1954 के लागू होने पर वह उक्त संहिता की धारा 147(क) के अन्तर्गत भूमिधरी तथा अन्ततः म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 158 के अन्तर्गत भूमिस्वामी बन गया। उत्तराधिकार के आधार पर वादी का दावा तब विफल हो जाता है जब यह माना जाता है कि ठेका अविभाज्य है, इसे स्व-अर्जित और पृथक संपत्ति की घटनाओं के साथ माना जाएगा जैसा कि अविभाज्य संपत्ति के मामले में होता है जो पैतृक हो सकती है। मैं यहाँ यह भी उल्लेख कर सकता हूँ कि चूँकि पक्षकार मुसलमान हैं, इसलिए संयुक्त मुसलमान परिवार जैसी कोई चीज़ नहीं थी और न ही मुसलमान विधि मुसलमान परिवार में संयुक्त अधिभोग को मान्यता देता है। इसलिए, वे सभी विचार जो उन मामलों में उठे जहाँ





पक्षकार हिंदू थे, यहाँ लागू नहीं होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के सामने, तो अब यह कहना भी मुश्किल है। मामले के इस दृष्टिकोण में, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय से भिन्न विचार रखते हुए, मैं यह साहसपूर्वक कहता हूँ कि वादी को प्रतिवादी संख्या 1, तत्कालीन ठेकादार से विभाजन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था। तदनुसार, वादी का मुकदमा आंशिक रूप से विफल होना चाहिए।

33. श्री राजा वेलुगोटी कुमार कृष्ण यचेन्द्र वरु (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर नागेश बिष्टो देसाई एवं अन्य बनाम खांडो तिरमल देसाई एवं अन्य⁷ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचार किया गया, जिसमें अनुच्छेद 23 में सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास अविभाज्य संपदा अधिनियम, 1904 के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए श्री राजा वेलुगोटी कुमार कृष्ण यचेन्द्र वरु (सुप्रा) के मामले में भिन्न विचार व्यक्त किया।

34. 1950 के अधिनियम के लागू होने के बाद इनाम/मालगुजारी संपदा की विधिक स्थिति और अन्य सदस्यों की तुलना में मालगुजार के अधिकारों पर अनंत किबे और अन्य बनाम पुरुषोत्तम राव और अन्य⁸ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा आधिकारिक रूप से विचार किया गया था, जो कि एम. पी. उच्च न्यायालय से उत्पन्न होने वाला मामला है और जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न (कंडिका-6) तैयार किया था:-

“6. इस अपील में शामिल छोटा और संकीर्ण सवाल यह है कि क्या संहिता की धारा 158 (1) (ख) के तहत भूमिस्वामी भूमि बनने वाली इनाम भूमि इनामदार की स्व-अर्जित संपत्ति थी और प्रतिवादी 1 पुरुषोत्तम राव पूर्ण और अनन्य कब्जे में रहने और उसका आनंद लेने के हकदार थे, या

7 (1982) 2 SCC 79

8 1984 (Supp) SCC 175



उन पर ऐसी इनाम भूमि के संबंध में भूमिस्वामी अधिकारों को प्रदान करने से 7 (1982) 2 एससीसी 79 के सदस्यों को लाभ होना चाहिए। संयुक्त हिंदू परिवार और इसलिए भूमिस्वामी भूमि किसी भी अन्य सह-आंशिक संपदा की तरह विभाजित होने के लिए उत्तरदायी थी।

35. माननीय न्यायाधीशों ने अंततः 1959 की संहिता की धारा 158 (1) (ख) में निहित प्रावधानों पर विचार करते हुए उक्त प्रश्न का उत्तर दिया, जिसमें कहा गया था कि 1959 की संहिता की धारा 158 (1) (ख) और 164 के आधार पर, संपत्ति भूमिस्वामी भूमि बन गई और अविभाज्यता की घटना समाप्त हो गई और कनिष्ठ सदस्य ऐसी भूमि पर विभाजन का दावा कर सकते हैं। प्रतिवेदन के कंडिका-9 और 10 में कहा गया है:-

“9. संहिता की योजना के तहत न केवल इनाम भूमि के कार्यकाल की प्रकृति में बल्कि उत्तराधिकार के तरीके में भी भारी बदलाव लाया गया था। संहिता की धारा 158 (1) (ख) प्रदान करती है:

158. भूमिस्वामी—(1) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के लागू होने के समय, निम्नलिखित वर्गों में से किसी से संबंधित है, उसे भूमिस्वामी कहा जाएगा और उसके पास सभी अधिकार होंगे और वह इस संहिता द्वारा या उसके तहत किसी भूमिस्वामी को प्रदत्त या अधिरोपित सभी दायित्वों के अधीन होगा, अर्थात्:

(अ) *

*

*

*



(ख) मध्य भारत भू-राजस्व और कृषक अधिनियम, संवत् 2007 (1950 का 66) में परिभाषित मध्य भारत क्षेत्र में पक्का कृषक या मुआफीदार, इनामदार या रियायती धारक के रूप में उसके द्वारा धारित भूमि के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति।

10. धारा 158 (1) (ख) की सरल भाषा ने इनाम अधिकारों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और साथ ही साथ भूमिस्वामी अधिकारों को प्रदान कर दिया। प्रत्येक व्यक्ति, मध्य भारत क्षेत्र में इनामदार के रूप में उसके द्वारा धारण की गई भूमि के संबंध में, संहिता के लागू होने के समय, उसका भूमिस्वामी बन गया, और सभी अधिकार प्राप्त कर लिए और संहिता के तहत एक भूमिस्वामी की सभी देनदारियों के अधीन हो गया। धारा 158 (1) (ख) में दिखाई देने वाले शब्द "उसके द्वारा धारित भूमि के संबंध में" नियत दिन पर स्वामित्व के संबंध में अवधि धारक की स्थिति और प्रकृति को संदर्भित करते हैं। ऐसे व्यक्ति द्वारा भूमिस्वामी की स्थिति की प्राप्ति स्वतः होती थी और उसने सभी अधिकार प्राप्त कर लिए और संहिता द्वारा या उसके तहत किसी भूमिस्वामी को प्रदत्त या लगाए गए सभी दायित्वों के अधीन हो गया। एक आवश्यक परिणाम के रूप में, वह धारा 164 के प्रावधानों के अधीन हो गया। धारा 164 में प्रावधान है कि उसकी व्यक्तिगत विधि के अधीन, एक भूमिस्वामी के हित, उसकी मृत्यु पर, विरासत, उत्तरजीविता या वसीयत से शासित होंगे, जैसा भी मामला हो। धारा 158 (1) (ख) और 164 के संयुक्त अध्ययन के बाद जो विधिक परिणाम सामने आया, वह यह था कि होठकर राज्य की जागीर नियमावली के तहत इनाम भूमि के अनुदान की शर्तें थीं और ज्येष्ठाधिकार के नियम द्वारा अविभाज्यता की घटना और उत्तराधिकार का विशेष तरीका समाप्त हो गया था। भूमिस्वामी अधिकारों के प्रदान होने के बाद, अवधि की घटनाओं और प्रकृति में बदलाव आया और उस पर





लगाए गए प्रतिबंध गायब हो गए, और ऐसी भूमि किसी भी अन्य सह-स्वामित्व वाली संपत्ति की तरह संयुक्त स्वामित्व में रखने में सक्षम हो गई। यह तार्किक रूप से पालन करना चाहिए कि पैतृक इनाम भूमि के संबंध में संहिता की धारा 158 (1) (ख) के तहत कुछ समय के लिए धारक को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करने से अनिवार्य रूप से संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों को लाभ होगा।”

36. **अनंत किबे (सुप्रा)** में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी निर्णय के कंडिका-17 में म.प्र. उच्च न्यायालय के **मणिराम मकसूदन (सुप्रा)** में दिए गए निर्णय पर आगे विचार किया और माना कि 1950 के अधिनियम की धारा 39(1) में निहित प्रावधान के आधार पर अविभाज्यता और अहस्तांतरणीय का वैधानिक प्रतिबंध हटा दिया गया है और इसलिए जो भूमि संयुक्त परिवार की भूमि थी, जो वैधानिक प्रतिबंधों के अधीन थी, वह वैधानिक प्रतिबंधों से मुक्त सामान्य संयुक्त परिवार की संपत्ति का प्रकृति ग्रहण करती है। इसके बाद, **दत्तात्रेय उर्फ प्रकाश और अन्य बनाम कृष्ण राव उर्फ लाला साहब बक्सी विधिक प्रतिनिधि के मामले में और अन्य**⁹ सर्वोच्च न्यायालय ने **अनंत किबे (सुप्रा)** में दिए गए निर्णय का पालन किया और निम्नानुसार अवधारित किया :-

“31. ... आक्षेपित निर्णय से यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कई उदाहरण हैं कि अधिनियम के तहत संपत्तिओं के उन्मूलन के बाद भूमि संयुक्त पारिवारिक संपत्ति बन गई, जिसे **अनंत किबे बनाम पुरुषोत्तम राव 8** से मंजूरी मिली, जिसका अवलंब श्री बोबडे ने लिया था। इसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एम. पी. भू-राजस्व संहिता की धारा 158 (1) (ख) और 164 का संयुक्त प्रभाव यह था कि जागीर नियमावली के तहत इनाम भूमि के अनुदान के संदर्भ में ज्येष्ठाधिकार के नियम द्वारा प्रदत्त अविभाज्यता की घटना और



उत्तराधिकार का विशेष तरीका समाप्त हो गया था। भूमिस्वामी अधिकार भूमि के धारक अर्थात् द्वारकानाथ को प्रदान किया गया था। मध्य भारत भू-राजस्व और कृषक अधिनियम, 1950 में धारा 54(7), 69 और 82 के क्रियान्वयन से भूमि भूमिस्वामी अर्थात् द्वारकानाथ की पक्की किरायेदारी बन जाती है। इसलिए, अपीलार्थी 1 और 2 के लिए पक्का कृषक के अधिकार का उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरण का विकल्प खुला रहता है। तदनुसार हम मानते हैं कि अनुसूची 2 सरल क्रमांक 2, 3 और 5 में वर्णित भूमि अपीलार्थियों की संपत्ति बन जाती है।”

37. तत्पश्चात्, **अन्नासाहेब बापूसाहेब पाटिल एवं अन्य बनाम बलवंत उर्फ बालासाहेब बाबूसाहेब पाटिल (मृत) द्वारा द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य¹⁰** के मामले में, अनंत किबे (सुप्रा) एवं नागेश बिष्टो देसाई (सुप्रा) में दिए गए निर्णयों का अनुसरण करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि अविभाज्य संपत्ति अपने आप में धारक की अनन्य संपत्ति नहीं बन जाती, यह संयुक्त परिवार की संपत्ति तभी नहीं रह जाती जब परिवार के कनिष्ठ सदस्य संपत्ति पर उत्तराधिकार के अपने अधिकार का त्याग कर देते हैं।

38. **एन. पद्मम्मा और अन्य बनाम एस. रामकृष्ण रेड्डी और अन्य¹¹** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि ज्येष्ठाधिकार का विधि अब भारत में लागू नहीं है, इस तरह के प्रावधान को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा असंवैधानिक माना जा सकता है।

39. **अनुज गर्ग और अन्य बनाम होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य¹²** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ज्येष्ठाधिकार का सिद्धांत भी महिलाओं के मानव गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करता है क्योंकि इसका तात्पर्य

¹⁰ (1995) 2 SCC 543

¹¹ (2008) 15 SCC 517

¹² (2008) 3 SCC 1



यह है कि महिलाएं संपत्ति के स्वामित्व और प्रशासन के लिए योग्य या सक्षम नहीं थीं।

40. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, **मुस्तफा खान (सुप्रा)** में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है और तथ्यों के आधार पर स्पष्ट रूप से भिन्न है।

41. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति तथा उपरोक्त वर्णित निर्णयों (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्णयों से प्रवाहित विधिक सिद्धांत के आलोक में वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि बोधसिंह को वाद सम्पत्ति 1917 के अधिनियम के अन्तर्गत महफूजा ठेकेदार के रूप में विरासत में मिली थी, उक्त सम्पत्ति अविभाज्य एवं अहस्तांतरणीय थी, किन्तु 1950 के अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात् तथा 1950 के अधिनियम की धारा 39(1) एवं (2) के अन्तर्गत उपायुक्त द्वारा आदेश पारित किये जाने के पश्चात् बोधसिंह को मौरूषी कृषक का अधिकार प्राप्त हुआ तथा उक्त मौरूषी कृषक का अधिकार 01-11-1956 से संहिता 1954 की धारा 147 में निहित प्रावधानों के आधार पर भूमिधरी अधिकार में परिवर्तित हो गया तथा उक्त बोधसिंह भूमिस्वामी बन गया। 1959 की संहिता की धारा 158(1)(क) में निहित प्रावधानों के अनुसार दिनांक 02.10.1959 से प्रभावी और इसके अलावा, 1950 के अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर, संरक्षित ठेकेदार की संपदा ठेकेदार के परिवार की संयुक्त हिंदू परिवार सहदायिक संपदा बन गई है, जो विभाजित होने के कारण किसी भी सह-हिस्सेदार के कहने पर अधिकार के रूप में विभाजित की जा सकती है और इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि वाद संपत्ति विभाजनीय होने के कारण विभाजन के अधीन नहीं हो सकती है, इस संबंध में अच्छी तरह से स्थापित विधि के विपरीत है और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष की पुष्टि करके अवैधता को कायम रखा है, जिसमें वाद संपत्ति को इस तरह से



अविभाज्य माना गया है, दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय और आज्ञासि अपास्त किए जाने योग्य है और तदनुसार अपास्त किया जाता है।

42. चूंकि, अब विवादक क्रमांक 1, 2 (ख), 2 (ग), 2 (घ) और 3 में अभिलिखित विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उलट दिया गया है और जिन्हें इस न्यायालय द्वारा पहले ही पिछले कंडिका में निर्धारित किया जा चुका है और संपत्ति को अविभाज्य माना गया है और मुकदमे को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि वाद संपत्ति जो अहस्तांतरणीय है वह अविभाज्य नहीं है और जिसे इस न्यायालय द्वारा विभाज्य माना गया है।

43. उपरोक्त विश्लेषण के परिणामस्वरूप, द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है और वादी के वाद स्वीकार किया जाता है और वादी को वादपत्र की अनुसूची-ख में वर्णित संपत्तियों का स्वामी और स्वत्व धारक घोषित किया जाता है। नतीजतन, इसमें प्रतिवादी/निजी प्रतिवादी, जिन पर प्रतिवादी क्रमांक 5 को छोड़कर मूल प्रतिवादियों का अधिकार, हित और स्वत्व हस्तांतरित किया गया है, इस न्यायालय की आज्ञासि की तारीख से दो महीने के भीतर वादी को वादपत्र की अनुसूची-ख में वर्णित संपत्तियों का शांतिपूर्ण कब्जा सौंप देंगे। वादी के पूरे खर्च का वहन प्रतिवादी द्वारा किया जाएगा।

44. विधि के सारवान प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया जाता है और द्वितीय अपील को उपरोक्त वर्णित सीमा तक स्वीकार की जाती है। दोनों पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

45. तदनुसार, आज्ञासि तैयार की जाए।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

